

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय, चारामा
जिला-उ. ब. कांकेर (छग.)

AISHE Code : C-24958

College Code : 2105

Website : www.govtcollegecharama.in

Email : gccharama1989@gmail.com

पत्र क्र. 167/स्था/2024

चारामा, दिनांक : 23/07/2024

// सूचना //

कक्षा बी.एस.सी(बायो/गणित) एवं बी.कॉम-प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सम्बंधित विषय समूह, जाति और महिला संवर्ग में रिक्त सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने की स्थिति में श्रेणी परिवर्तन कर दिनांक 23-07-24 से 25-07-24, समय प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तक मुक्त प्रवेश दिया जायेगा.

आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित छायाप्रति

- (1) ऑनलाईन प्रवेश आवेदन की हार्ड कॉपी।
- (2) ऑनलाईन प्रवेश पंजीयन शुल्क रसीद।
- (3) 10 की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (4) 12 की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (5) मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (6) जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (7) आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (8) 02 पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटोग्राफ्स
- (9) यदि NCC/NSS/Scouts/Sports आदि का अधिभार हो तो उसकी स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (10) ABC ID Card की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- (11) मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (यदि लागू हो तो)

आवश्यक मूल (ओरिजनल) दस्तावेज


- (1) मूल (ओरिजनल) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)।
- (2) मूल (ओरिजनल) चरित्र प्रमाण पत्र।
- (3) ऑनलाईन एंटी-रैगिंग शपथ पत्र की मूल प्रति (ओरिजनल) जिसमें विद्यार्थी और अभिभावक का हस्ताक्षर हो।
- (4) गैप हो तो नोटरी द्वारा जारी मूल (ओरिजनल) गैप शपथ पत्र (गैप एफिडेविट)।
- (5) माईग्रेसन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

नोट : (1)

- प्रवेश के समय उपर्युक्त वांछित दस्तावेज "प्रवेश आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी" के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी।
- (2) निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश माना जायेगा।
- (3) जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझ कर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।
- (4) प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।


(प्रवेश प्रभारी)

बी.एस.सी प्रथम सेमेस्टर


(प्रवेश प्रभारी)

बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर


Principal

शास.शहीद हेंद्रीमहाविद्यालय दारामा
जिल्हा उ. व. कांकर (छ.ग.)